

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

Short Term TECHNICAL BID

FOR

Rate contract of

PROM (Phosphate Rich Organic Manure)

Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II)

(As per specification of FCO 1985) F.O.R to KVSS/GSS of Rajasthan

Estimated Category/Item wise cost Rs. 30 Crore.

**Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	3-4
2	General Instruction to Bidders	5-7
3	Instruction for Technical Bid <ul style="list-style-type: none">• Scope of Bid• Submission of Bid Application• Details of Fees• Employer Rights• Site Visit	8-10
4	Technical Bid Form	11-12
5	Compliance with Code of Integrity And no conflict of interest (Annexure "A")	13
6	Declaration of the bidder regarding qualification (Annexure "B")	14
7	Greivance redressal during procurement process. (Annexure "C")	15-17
8	Important provisions of contract. (Annexure "D")	18
9	Annual turnover certificate. (Annexure "E")	19
10	Declaration of Black List (Annexure "F")	20
11	List of Purchase centre(Annexure "G")	21-28

**राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4-भवानी सिंह मार्ग, जयपुर**

फोन : 0141-2740081,
0141-2740231
फैक्स : 0141-2740122,
0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

अल्पकालिक ई-बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि /2020-21/5445

राजफैड के माध्यम से निर्माता कम्पनियां जिन्हें कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा राज्य में विपणन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर), ऑर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स(जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोरेक्स इत्यादि), सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (As per specification of FCO) की एक वर्ष के लिए दर संविदा अन्तर्गत आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है, बिड डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 09.11.2020 है। विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, rajfed.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र यदि कोई हो, भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

**Short Term Rate Contract BID FOR PROM (Phosphate Rich Organic Manure),
Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade- I, II)**

On-line Bids are invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd(RAJFED), Jaipur for supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II) (As per specification of FCO 1985) F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan from manufacturers of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II) having manufacturing license to sell in Rajasthan with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description Item	Estimated qty	Estimated cost (Rs.in Crores)	Bid Security 1% (Rs.in lakh)	Bid Form Cost (with GST) In Rs	Processing Fee (In Rs)	Average Annual Turnover of last 3 years
1	PROM (Phosphate Rich Organic Manure)	2000 MT	1.47	1.47	5900	1000	60% of Estimatel cost
2	Organic Potash 14.5%	1000 MT	1.60	1.60			
3	Micronutrients						
	(i)Manganese Sulphate	50 MT	0.09	0.09			
	(ii) Zinc Sulphate Monohydrate 33%	1500 MT	10.00	10.00			
	(iii) Zinc Sulphate Heptrahydrate 21%	1500 MT	6.75	6.75			
	(iv) Borax (Sodium Tetraborate) 10.50%	50 MT	0.25	0.25			
	(v) Copper Sulphate	50 MT	1.25	1.25			
	(vi) Ferrous Sulphate	500 MT	0.85	0.85			
	(vii) Chelated Zinc as Zn-EDTA	50 MT	0.70	0.70			
4	Mineral Mixture (Raj Grade-I)	3000 ltr	0.18	0.18			
	Mineral Mixture (Raj Grade-II)	1000 MT	6.50	6.50			

Bid documents may be downloaded and uploaded on website :<http://eproc.rajasthan.gov.in>

- E-Bid processing Fee, Bid Document Fee and Bid Security for PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II) has to be deposited through RTGS in Account of Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd payable at Jaipur compulsorily. Scanned Copy of the RTGS Receipt has to be uploaded along with the Technical bid on www.eproc.rajasthan.gov.in and RTGS Receipt physically deposited at AI Section, RAJFED Headoffice, upto 03.00 PM on 09.11.2020 before the Opening of Technical Bid without which offer will not be considered.

Account Name: Rajasthan State cooperative marketing federation ltd. jaipur

Name of Bank: State Bank of India

Branch :Tilak Marg, Jaipur

Account No. : 61193917408 (Saving Account)

IFSC code: SBIN0031510

- Bid Security for the category/item wise which the company is applying need to be deposited.
- Above quantities are indicative & order may be placed for whole or part of the quantity as per requirement.
- The technical bid shall be opened at 3.30 PM on 09.11.2020 in the presence of desirous bidder(s). The financial bids of the technical qualified firms shall be opened subsequently for which date and time shall be intimated separately.
- Pre Bid Meeting on 02.11.2020 at 11.30 AM at RAJFED Head Office, Jaipur.

Managing Director

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली हेतु सामान्य निर्देश

1. ई-बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No. 1800-3070-2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहां सम्पर्क कर सकते हैं।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
4. बोली लगाने वाले आरटीजीएस रसीद के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें।
5. तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वालों की वित्तीय बिड राजफैड कार्यालय में खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से [website :http://eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर दी जावेगी।
6. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड-I, II) की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई-बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बांटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी आनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी।
7. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
8. **बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :-**
 - (i) कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - (ii) राजस्थान राज्य में स्थित कम्पनियों द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स संलग्न करना होगा। ऐसी कम्पनियां जो राज्य के बाहर की हैं एवं जिनका प्लान्ट राजस्थान राज्य के बाहर स्थित है उनके द्वारा उस राज्य के कृषि विभाग द्वारा जारी विपणन लाईसेन्स संलग्न करना होगा।
 - (iii) कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
 - (iv) कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
 - (v) PAN CARD एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

- (vi) कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारी का ओथिरीटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष, ई-मेल सहित।
- (vii) फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- (viii) सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर शुदा।
- (ix) संबंधित माल की अनुमानित लागत का 60% के बराबर पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षित अंतिम खाते (Balance Sheet) संलग्न होनी चाहिए।
- (x) निर्माता फर्म को संबंधित माल का गत 3 वर्ष का मैन्यूफैक्चरिंग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। गत 3 वर्ष में से किसी भी एक वर्ष के लिये, किसी भी राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर/प्राइवेट सेक्टर में आपूर्तित आदेश की प्रति (जो कि आपूर्ति आदेश के कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा का हो) मय आपूर्तित माल का संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी मान्य होगा।
9. बोली में प्रति मै.टन की दर, सभी प्रकार के करों सहित एवं एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन एवं एमआरपी सहित अंकित करनी होगी।
10. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावे।
11. ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) फर्म बोली में भाग लेने के लिए अयोग्य (Disqualified) होगी। इसके अतिरिक्त जिन प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) निर्माता फर्मों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण राजफैड द्वारा पूर्व में डिफाल्टर घोषित किया गया हो, ऐसी फर्म भी इस बोली में भाग लेने हेतु अयोग्य होगी तथा ऐसी फर्म से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
12. बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा आरटीजीएस की स्केन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल रसीद दिनांक 09.11.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी। बिड सिक्यूरिटी संबंधित कम्पनी द्वारा श्रेणी/मदवार जिसके लिये कम्पनी बिड प्रस्तुत कर रही है, के आरटीजीएस/अपलोड करवाये जायेंगे। तकनीकी बिड दिनांक 09.11.2020 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी।
13. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।
14. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जाँच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी। आपूर्ति दस्तावेजों के साथ माल की सैम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में आपूर्तित माल निरस्त किया जा सकता है।

15. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
16. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) निर्माता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करनी होगी। अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
17. फर्म द्वारा एक ही निविदा प्रपत्र एवं शुल्क के अन्तर्गत एक आईटम अथवा समस्त आईटम की बिड अंकित की जा सकती है।
18. उक्त बोली प्रस्ताव राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अधीन प्रावधान लागू होंगे।

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,

4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

तकनीकी बिड हेतु निर्देश

कार्य का नाम : निर्माता कम्पनियों जिन्हें कृषि विभाग, राजस्थान में विपणन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (**As per specification of FCO 1985**) की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु दर संविदा।

नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०, जयपुर

1. बोली का विस्तृत विवरण :

कार्य का विवरण : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत एवं अनुज्ञापत्रधारक निर्माता कम्पनियों से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (**As per specification of FCO 1985**) की राजस्थान की क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

क्र.सं.	मद	विवरण
1.	कार्य की अनुमानित लागत	30 करोड रु.
2.	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	मदवार (पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित विवरणानुसार)
3.	अनुमानित मात्रा	मदवार (पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित विवरणानुसार)
4.	बोली दस्तावेज शुल्क	5900 रु. (जीएसटी सहित) पृष्ठ सं. 2 पर अंकित विवरणानुसार
5.	प्रोसेसिंग फीस	1000 रु.
6.	कार्यावधि	1 वर्ष के लिए (अनुबंध दिनांक से)
7.	प्री-बिड मीटिंग	02.11.2020 को प्रातः 11.30 बजे
8.	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 28.10.2020 को सायं 11.00 बजे से दिनांक 09.11.2020 को प्रातः 11.30 बजे तक
9.	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 09.11.2020 को अपरान्ह 1 बजे तक
10.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 09.11.2020 को अपरान्ह 3.30 बजे
11.	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
12.	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	नवम्बर, 2020
13.	बोली की वैधता	तकनीकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

2. आवेदन पत्र की प्रस्तुति :

- यह ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनीकी बिड प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्कैन प्रतियाँ एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्कैन कॉपियाँ तथा द्वितीय लिफाफे अंतर्गत वित्तीय बिड प्रपत्र अपलोड किये जावेंगे।
- बिड हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएं एवं समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, वांछित दस्तावेजों के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

3. शुल्क विवरण :

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि रु. 5,900 (जीएसटी सहित) का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० के नाम से जयपुर में देय आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा।
- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की अनुमानित लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) (अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत) राशि मदवार (पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित विवरणानुसार) भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० के नाम से जयपुर में देय आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा।
- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु. 1,000/- का भुगतान राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि०, जयपुर के खाते में आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा।
- उक्त तीनों भुगतान का एक साथ RTGS किया जावेगा।

4. योग्यता निर्धारण :

- राजस्थान राज्य में स्थित कम्पनियों द्वारा कृषि विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स संलग्न करना होगा। ऐसी कम्पनियां जो राज्य के बाहर की हैं एवं जिनका प्लान्ट राजस्थान राज्य के बाहर स्थित है उनके द्वारा उस राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा विपणन हेतु जारी उत्पादन लाईसेन्स संलग्न करना होगा।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
- कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II)/उर्वरक उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- पैन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारी का ऑथोरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
- संबंधित माल की अनुमानित लागत का 60% के बराबर पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र व अंकेक्षित अंतिम खाते संलग्न (ऐन्क्चर-ई)।

- फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (ऐन्क्चर एफ)।
- आपूर्ति किये जाने वाले प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की गुणवत्ता फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार होगी।

5. नियोक्ता के अधिकार :

- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा करने का कारण लेखबद्ध किये जावेंगे।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

6. साइट विजिट :

- बोली लगाने वाले की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों राजस्थान राज्य में स्थित कृषि विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वयं जाकर करें तदुपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

आवेदन प्रपत्र

प्रबन्ध संचालक,
राजफैड,
जयपुर।

कार्य का नाम : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता कम्पनियों से राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (As per specification of FCO 1985) एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई-बिड :

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष/मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई-मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु :
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता
व दूरभाष नम्बर
8. फर्म की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) उत्पादन क्षमता का विवरण :-
9. फर्म द्वारा राजफैड को ऑफर की गयी प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की मात्रा

10. बिड प्रस्ताव की समय सीमा 90 दिन (बिड खोलने की दिनांक से)।
11. प्रस्ताव स्वीकृति पश्चात् आपूर्ति आदेश की 2.5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा करानी होगी। कार्य आदेश प्राप्ति के 3 दिवस में जमा की जावेगी। जिसमें पूर्व में जमा बिड सिक्योरिटी राशि का समायोजन किया जावेगा।
12. वित्तीय बिड में वर्णित F.O.R. Destination पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) **(As per specification of FCO 1985)** आपूर्ति जिनमें लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज, सैम्पल टेस्ट चार्ज, जीएसटी एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित हैं, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन/लीटर की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है।
13. राजफैड द्वारा आपूर्ति आदेश जारी होने के पश्चात् एवं अनुबंध पत्र निष्पादित होने की दिनांक से निर्धारित अवधि (7 दिवस) में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।
14. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं।

निविदा के साथ निम्नानुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैं:-

1. राजस्थान राज्य में स्थित कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स संलग्न करना होगा। ऐसी कम्पनियां जो राज्य के बाहर की हैं एवं जिनका प्लान्ट राजस्थान राज्य के बाहर स्थित है उनके द्वारा उस राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन/विपणन लाईसेन्स संलग्न करना होगा।
2. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स/पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
4. पैन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
6. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारी का ऑथोरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
7. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (500 रु. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर) पर (एनेक्चर एफ)।
8. बोली सम्बन्धी कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकार पत्र।
9. बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस (कुल संख्या 3) के आरटीजीएस की रसीद की स्केन प्रतियाँ।
10. संबंधित माल की अनुमानित लागत का 60% के बराबर पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र (एनेक्चर ई) व अंकेक्षित अंतिम खाते (Balance Sheet) की प्रति।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure - B
DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II) **(As per specification of FCO 1985)** FOR to KVSS/GSS (including GST) in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Zinc Sulphate 33%, Organic Potash 14.5%, Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II) (As per specification of FCO 1985) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:	Signature of Bidder	:
Place:	Name	:
	Designation	:
	Address	:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is M.D. RAJFED, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Administrator RAJFED Jaipur.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No . of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... Supported by an

Affidavit)

7.

Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Important Provisions of Contract

1. Correction of arithmetical errors:

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

(i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Bidder fails to do so, the Procuring Entity shall be free to order for the balance supply to other eligible bidders whose agree to supply on L-1 Rates.

1. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule minimum quantity or offered quantity by bidder of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided among the Bidders, whose Bid is accepted and the L-1 Rates accepted by second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation

Address:

Annual Turn-over Statement

The annual turnover for -----, of M/s. _____
_____ address _____ for the past three years are as given below:-

S.No.	Year	Gross/annual Turnover of Item _____ in Rs. Crores
1	2017-18	
2	2018-19	
3	2019-20	
	Total:	Rs. Crore
Average gross annual turnover		Rs. Crore

certified that the statement is true and correct as per the annual certified and audited final Accounts of last three years which are being submitted with this bid.

Date:

Signature of Chartered Accountant

Place:

With Name, Address & Seal

Declaration and Undertaking

(on non-judicial stamp paper of Rs.500/-)

I (Name and complete address) _____ Sole Proprietor / authorised signatory of the firm/Company (Name and complete address) _____ do hereby solemnly affirm and declare that the individual/ firm/ company as a manufacturer/Bidder is not blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments in last three years from date of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I S/o (Designation) Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true & correct to the best of my knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any information furnished by me as above is found wrong, forged or fabricated the RAJFED will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible and the firm may be Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

क्र.सं.	नाम समिति	(क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर)
	1. जिला जयपुर	
1	जयपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति लि., जयपुर	
2	सांभर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सांभर	
3	चौमू सहकारी समिति लि., चौमूं	
4	शाहपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., शाहपुरा	
5	कोटपुतली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कोटपूतली	
6	चाकसू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चाकसू	
7	अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अचरोल	
8	सांगानेर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सांगानेर	
9	बस्सी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.पंचायत समिति, बस्सी	
10	दूदू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., दूदू	
11	राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर	
12	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड., जयपुर	
13	राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि., जयपुर	
14	राज.राज्य सह. स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स लिमिटेड., जयपुर	
15	इण्डियन एग्रीकल्चर मार्के.को-ऑप.लि., 60, एवरेस्ट विहार, ओम होटल के सामने, निर्माण नगर, जयपुर	
16	राज्य सरकार	
17	जालसू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जालसू	
18	जयपुर सहकारी फलसब्जी क्रय विक्रय संघ लि., सी-94 टूर्मिनल मार्केट, मुहाना मण्डी, जयपुर	
19	रूरल एण्ड फारमर्स डवलपमेंट को-आपरेटिव लि.(मल्टीस्टेट), 1 / 38, अग्रवाल केटर्स के सामने, एसबीबीजे बैंक के उपर, विधाधर नगर, जयपुर।	
20	पावटा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., पावटा।	
	2. जिला दौसा	
21	दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दौसा	
22	बांदीकुई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बांदीकुई	
23	लालसोट क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., लालसोट	
24	मण्डावर क.वि.सहकारी समिति लि. मण्डावर, महुआ रोड	
25	सिकराय क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सिकराय	
	3. जिला-टोंक	
26	देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., देवली	
27	टोंक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., टोंक	
28	मालपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मालपुरा	
29	टोडारायसिंह क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., टोडारायसिंह	
30	उनियारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., उनियारा	
31	किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., निवाई	
32	बनास फल सब्जी उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बनास	

33	अलीगढ़ फलसब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., अलीगढ़
	4. जिला सीकर
34	श्रीमाधोपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., श्रीमाधोपुर
35	सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सीकर
36	फतेहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहपुर
37	नीमकाथाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नीम का थाना
38	दांता रामगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दांतारामगढ़
39	लक्ष्मणगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लक्ष्मणगढ़
	5. जिला-झुंझुनू
40	झुंझुनू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., झुंझुनू
41	डूंडलोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., डूंडलोदमण्डी
42	चिडावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चिडावा
43	उदयपुरवाटी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., उदयपुरवाटी
44	सूरजगढ़ को-ओपरेटिव सोसायटी लि., सूरजगढ़
45	उदयपुरवाटी फल सब्जी विपणन सह.समिति लि., उदयपुरवाटी
46	खेतड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., खेतड़ी

	6. जिला-अजमेर	(क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर)
1	केकड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., केकड़ी	
2	किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., किशनगढ़	
3	ब्यावर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., ब्यावर	
4	आदर्श को-ऑप.मार्के.सोसायटी लि., विजयनगर	
5	नसीराबाद को-ओपरेटिव सोसायटी लि., नसीराबाद	
6	अजमेर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., अजमेर	
7.	सरवाड़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सरवाड़	
8.	अंराई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., अंराई	
	7. जिला-भीलवाड़ा	
8	माण्डल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., माण्डल	
9	भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भीलवाड़ा	
10	गंगापुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गंगापुर	
11	जहाजपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जहाजपुर	
12	बिजोलिया को-ओपरेटिव सोसायटी लि., बिजोलिया	
13	गुलाबपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गुलाबपुरा	
14	आसिन्द क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., आसिन्द	
15	शाहपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., शाहपुरा	
16	बनेड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बनेड़ा	
17	किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रायपुर	
18	कोटड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चारभुजानाथ	
	8. जिला-नागौर	
19	कुचामन सिटी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कुचामन सिटी	

20	परबतसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., परबतसर
21	नागौर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नागौर
22	लाड़नू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., लाड़नू
23	कृषक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मेड़ता सिटी
24	डीड़वाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., डीड़वाना
25	मेड़तासिटी एग्रो सेल्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग समिति लि., मेड़ता सिटी
26	कुचेरा स्वावलम्बी फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कुचेरा
27	पादूखुर्द कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति लि., पादूखुर्द तहसील मेड़ता सिटी
28	रियांबड़ी फलसब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., तहसील मेड़ता सिटी
29	डेगाना क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., डेगाना
30	कृषक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लाड़नू
31	खींवसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., खींवसर
32.	गच्छीपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गच्छीपुरा

	9. जिला-कोटा	(क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा)
1	रामगंज मंडी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रामगंज मंडी	
2	कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कोटा	
3	ईटावा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., ईटावा	
4	सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सांगोद	
5	सुल्तानपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुल्तानपुर	
	10. जिला-बारां	
6	बारां को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड., बारां	
7	छीपाबड़ोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., छीपाबड़ोद	
8	अन्ता क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अन्ता	
9	अटरू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अटरू	
10	छबड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., छबड़ा	
11	सीताबाड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सीताबाड़ी	
	11. जिला-बूंदी	
12	बूंदी को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., बूंदी	
13	केशवरायपाटन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., केशवरायपाटन	
14	नैनवा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नैनवा	
15	हिण्डोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., हिण्डोली	
16	श्रीकेशवरायपाटन शूगर मिल्स लिमिटेड., केशवरायपाटन	
	12. जिला-झालावाड़	
17	भवानी मंडी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भवानी मंडी	
18	खानपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., खानपुर	
19	झालरापाटन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., झालरापाटन	
20	अकलेरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अकलेरा	
21	गंगधार को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., चौमहला	
22	दी बकानी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बकानी	

	13. जिला- उदयपुर	(क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर)
1	संजीवन क्रय-विक्रय सह. समिति लि., फतेह नगर	
2	उदयपुर क्रय-विक्रय सह. समिति लि., उदयपुर	
3	भिण्डर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भिण्डर	
4	झाड़ौल क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., झाड़ौल	
5	सलुम्बर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सलुम्बर	
6	सराड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सराड़ा	
7	श्रीगणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., गोगुन्दा	
	14. जिला- राजसमंद	
8	कांकरोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कांकरोली	
9	आमेट क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चारभुजारोड	
10	श्रीनाथ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नाथद्वारा	
11	देवगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., देवगढ़	
12	रेलमंगरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., रेलमंगरा तहसील रेलमंगरा	
13	कुम्भलगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., केलवाड़ा	
	15. जिला-प्रतापगढ़	
14	महालक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., प्रतापगढ़	
15	छोटीसादड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., छोटीसादड़ी	
16	अरनोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., अरनोद	
17	धरियावद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., धरियावद	
	16. जिला- चित्तौड़गढ़	
18	विकास को-ऑपरेटिव मार्के. सोसायटी लि., कपासन	
19	चित्तौड़गढ़ क्रय-विक्रय सह. समिति लि., चित्तौड़गढ़	
20	निम्बाहेड़ा क्रय-विक्रय सह. समिति लि., निम्बाहेड़ा	
21	श्रीगणेश क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दलोट	
22	बेगू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बेगू	
23	बड़ीसादड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बड़ीसादड़ी	
	17. जिला- बांसवाड़ा	
24	गढ़ी क्षेत्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., परतापुर	
25	बांसवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बांसवाड़ा	
26	कुशलगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कुशलगढ़	
	18. जिला- डूंगरपुर	
27	डूंगरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., डूंगरपुर	
28	सीमलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सीमलवाड़ा	
29	सागवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सागवाड़ा	
30	बिछीवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बिछीवाड़ा	
31	आसपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., आसपुर	

	19. जिला- जोधपुर	(क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर)
1	बिलाडा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बिलाडा	
2	पीपाड सिटी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पीपाड सिटी	
3	भोपालगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भोपालगढ	
4	मथानिया क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मथानिया	
5	फलौदी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फलौदी	
6	बालेसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बालेसर	
7	जोधपुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., जोधपुर	
8	बावड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बावड़ी	
9	बाप को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., बाप	
	20. जिला- पाली	
10	रानी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रानी	
11	सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुमेरपुर	
12	सोजत रोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सोजत रोड	
13	मारवाड जक्शन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मारवाड जक्शन	
14	जैतारण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जैतारण	
15	रायपुर को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. रायपुर	
16	पाली-तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पाली	
17	बाली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बाली	
	21. जिला-सिरोही	
18	स्वरूपगंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., स्वरूपगंज	
19	शिवगंज को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., शिवगंज	
20	कृिा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., आबूरोड	
	22. जिला- जैसलमेर	
21	नाचना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नाचना	
22	पोकरण को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., पोकरण	
23	मोहनगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मोहनगढ	
24	सुलताना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.	
25	रामगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.	
26	चौधन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	
27	फतेहगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहगढ	
	23. जिला- बाड़मेर	
28	बालोतरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बालोतरा	
29	बाड़मेर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बाड़मेर	
30	बायतू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बायतू	
31	चौहटन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., चौहटन	
32	धोरीमन्ना क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., धोरीमन्ना	
33	सिणधरी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सिणधरी	
34	सिवाना क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सिवाना	

	24. जिला- जालौर
35	जालौर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जालौर
36	रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सांचोर
37	भीनमाल को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसायशी लि. भीनमाल
38	आहौर को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसायशी लि. आहौर
39	रानीवाड़ा को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायशी लि. रानीवाड़ा

	25. जिला- भरतपुर	(क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर)
1	डीग क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., डीग	
2	नंदवई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नंदवई	
3	किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भरतपुर	
4	कामां क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कामां	
5	रूपवास क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रूपवास	
6	बयाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बयाना	
7	कुम्हेर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कुम्हेर	
8	नगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नगर	
9	भरतपुर ।हरी फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भरतपुर	
10	फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., डीग	
11.	वैर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., वैर	
	26. जिला- अलवर	
12	अलवर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अलवर	
12	खैरथल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., खैरथल	
13	खेड़लीगंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., खेड़लीगंज	
14	राजगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., राजगढ़	
15	बहरोड़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बहरोड़	
16	अलवर फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अलवर	
17	मंडावर जालावास फल-सब्जी क्र-वि. सह.समिति लि.तह. मुडावर	
18	बहरोड़ फल-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि., बहरोड़	
19	लक्ष्मणगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., लक्ष्मणगढ़	
20	रामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., रामगढ़	
	27. जिला- धौलपुर	
21	बसेड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बसेड़ी	
22	धौलपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., धौलपुर	
23	बाड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बाड़ी	
24	राजाखेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., राजाखेड़ा	
	28. जिला- सवाई-माधोपुर	
25	गंगापुर क्रय-विक्रयसहकारीसमिति लि.,गंगापुर सिटी	
26	चौथ का बरवाड़ा क्रय-विक्रयसहकारी समिति लि., चौथकाबरवाड़ा	
27	सवाई-माधोपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सवाई-माधोपुर	

28	बामनवास क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बामनवास
29	बौली क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., बौली
30	खण्डार क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., खण्डार
	29. जिला- करौली
31	करौली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., करौली
32	टोडाभीम क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., टोडा भीम
33	हिण्डोन सिटी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., हिण्डोन सिटी
34	नादौती क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.
35	सपोटरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सपोटरा
	30. जिला- गंगानगर (क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर)
1	रायसिंह नगरक्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रायसिंह नगर
2	श्रीकरणपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., श्रीकरणपुर
3	गजसिंहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गजसिंहपुर
4	किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., श्रीगंगानगर
5	पदमपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पदमपुर
6	सूरतगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सूरतगढ़
7	श्रीविजयनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., श्रीविजयनगर
8	जैतसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जैतसर
9	अनूपगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अनूपगढ़
10	रामसिंहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रामसिंहपुर
11	घड़साना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., घड़साना
12	रिडमलसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रिडमलसर
13	रावला क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रावला
14	सादुल शहर फल सब्जी क्रय-विक्रयसह.समिति लि., सादुलशहर
15	जमीदारान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग, सोसायटी लि., सादुलशहर
16	केसरीसिंहपुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., केसरीसिंहपुर
17	श्रीगंगानगर कमीशन शॉप, श्रीगंगानगर
	31. जिला-हनुमानगढ़
18	हनुमानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., हनुमानगढ़
19	पीलीबंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पीलीबंगा
20	नोहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नोहर
21	सांगरिया क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सांगरिया
22	भादरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., भादरा
23	रावतसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रावतसर
24	गोलुवाला क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गोलुवाला
25	नोहर फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नोहर
26	टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., टिब्बी
27	धरतीपुत्र बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., हनुमानगढ़

32. जिला- बीकानेर		(क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर)
1	नौखा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नौखा	
2	लूणकरणसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., लूणकरणसर	
3	बेरियावाली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बेरियावाली	
4	छत्तरगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., छत्तरगढ़	
5	पूंगल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पूंगल	
6	बज्जू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बज्जू	
7	दांतौर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दांतौर	
8	बीकानेर कोलायत क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बीकानेर	
9	बीकानेरफल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., बीकानेर	
10	श्री डुंगरगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., श्री डुंगरगढ़	
11	देव कल्याण सेवा सहकारी सोसायटी लि., बीकानेर	
12.	एग्री क्लिनिक सहकारी समिति लि., बीकानेर	
33. जिला- चुरू		
13	सरदार शहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सरदार शहर	
14	सुजानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुजानगढ़	
15	तारानगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., तारानगर	
16	सादुलपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सादुलपुर	
17	चुरू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चुरू	
18	रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., रतनगढ़	

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID

FOR

Rate Contract of

**Supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) Organic Potash 14.5%,
Micronutrients, Mineral Mixture (Raj Grade-I, II)**

(As per specification of FCO 1985) to KVSS/GSS in Rajasthan

Estimated Category/Item wise cost Rs. 30 Crore.

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	Terms & Conditions of Contract	31-33
2	Bid of Rates (Item Wise)	34-38

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली की शर्तें

1. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (**As per specification of FCO 1985**) की दरों का अंकन वित्तीय बिड में शब्दों एवं अंको में अनिवार्यतः किया जावे, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी। वैब पेज पर उपलब्ध वित्तीय दरों के लिंक पर अपलोड होना चाहिए।
2. बोली में अंकित दरें प्रति मे.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहियें। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा। अनुबंध पत्र की दिनांक से 3 दिवस में कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) कुल आपूर्ति आदेश की 2.5% जमा करानी होगी। जिसमें पूर्व में जमा बिड सिक्योरिटी का समायोजन किया जावेगा।
4. कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) (**As per specification of FCO 1985**) की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा की गयी विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी/क्षतिपूर्ति राशि की कटौति की जावेगी:-
 1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक —
 2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक 5 प्रतिशत
 3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक 7.5 प्रतिशत
 4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक 10 प्रतिशत
 5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड द्वारा आदेश निरस्त कर आदेश के मूल्य के बराबर देय अन्तर की राशि फर्म से वसूल की जावेगी।
5. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति के आदेश क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अपनी वास्तविक माँग का आंकलन कर क्षेत्रीय कार्यालय/राजफैड मुख्यालय, जयपुर को भिजवाये जावेगे जिसके आधार पर राजफैड मुख्यालय द्वारा समितियों की माँग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को आपूर्ति आदेश दिये जावेगें।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड मुख्यालय द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्चूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से राशि प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा। भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनियों द्वारा बिल के साथ निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगे:-
 1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
 2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टि पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
 3. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।

4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
5. एक्सपायरी डेट के पश्चात् का प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) कम्पनी द्वारा वापस उठाया जावेगा।
6. फर्म को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए माल के बिलों की राशि का 95% भुगतान प्राप्त दस्तावेज एवं संबंधित सोसायटी से राशि प्राप्त होने की शर्त पर किया जावेगा। शेष रोका गया भुगतान 5% जो कि समस्त बिलों के समायोजन व GSTR-2A के मिलान पश्चात् जारी किया जावेगा। यदि फर्म द्वारा आपूर्ति आदेशानुसार मात्रा की सप्लाई में असफल होता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।
7. स्वीकृत कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्तित मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया अनुबन्ध समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। घटी हुई दरों की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) आपूर्ति की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा। डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जाँच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
10. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड— I, II) के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

11. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) की आपूर्ति निर्धारित नयी पैकिंग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों एवं तरल (एलडी/पैट बोतल) में जमा हुआ, ढेले वाला, खराब एवं एक्सपाईरी डेट का प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
 - (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
 - (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
 - (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
 - (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
 - (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
13. बिड सिक्यूरिटी राशि का भुगतान संविदा अवधि की समाप्ति पश्चात कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर), ओर्गेनिक पोटाश 14.5%, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड- I, II) आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति-रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
15. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में तीन माह तक अभिवृद्धि की जा सकेगी।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,

4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह नवम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) (पाउडर)

(As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

प्रोम (पाउडर)

दर रू. प्रति मै.टन

ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा)	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार

2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

नाम :-

पद :-

कमेटी का नाम :-

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह नवम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) (दानेदार)

(As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

प्रोम (दानेदार)

दर रू. प्रति मै.टन

ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा)	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करों सहित (प्रति मै.टन में)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करों सहित (प्रति मै.टन में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह नवम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को ओर्गेनिक पोटाश 14.5% (As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

ओर्गेनिक पोटाश 14.5%

दर रू. प्रति मै.टन

ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा)	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

**राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर**

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह नवम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को माइक्रोन्यूट्रेंट्स (As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

माइक्रोन्यूट्रेंट्स

दर रु. प्रति मै.टन					
माइक्रोन्यूट्रेंट्स का नाम	ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा)	बिलिंग दर (एफ.ओ. आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर
(i)Manganese Sulphate					
(ii) Zinc Sulphate Monohydrate 33%					
(iii) Zinc Sulphate Heptahydrate 21%					
(iv) Borax (Sodium Tetraborate) 10.50%					
(v) Copper Sulphate					
(vi) Ferrous Sulphate					
(vii) Chelated Zinc as Zn-EDTA					

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रु. प्रति मै.टन माहवार

2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह नवम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2021 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की कृषि विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड-I, II) (As per specification of FCO 1985) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :-

सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड-I, II)

दर रू. प्रति मै.टन

सूक्ष्म तत्व मिश्रण का नाम	ऑफर की गयी मात्रा	पैकिंग (किग्रा/लीटर)	बिलिंग दर (एफ.ओ. आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन/लीटर में)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन/लीटर में)	जी.एस.टी की प्रचलित दर
सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड-I)					
सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज ग्रेड-II)					

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन/लीटर माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर